भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 162

दिनांक 24.02.2015/5 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच

162. श्री नित्यानन्द राय:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की घटना की नए सिरे से जांच शुरू करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में अभी तक की गई जांच के दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) और (ख) : जी, नहीं।

(ग) और (घ): गृह मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से संबंधित सभी फाइलों/दस्तावेजों को स्थायी रूप से रखने के लिए दिनांक 1.10.2012 को भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) में भेज दिया है। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सूचित किया है कि उन्होंने इन फाइलों की सूची तैयार की है और दिनांक 17.11.2014 से अनुसंधान कक्ष, एनएआई में आने वाले अध्ययनकर्ताओं के लिए इन रिकार्डों को सार्वजनिक कर दिया है।

*****